न्यायालयः- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	हरीश कुमार, आर.जे.एस.
नम्बरी फौजदारी संख्या	1256/2012
CIS NO.	1256/2012
CNR NO.	RJCH020007932012
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०	15/2011-12
अंतर्गत धारा	14/57, 19/54, 54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम
पुलिसथाना	आबकारी निरीक्षक वृत्त, चूरू

सरकार

बनाम

महिपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, उम्र 38 साल, निवासी कोलीडा पुलिस थाना दादिया जिला सीकर ।

-अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धाराः 14/57, 19/54, 54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थितः-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य।
2. विद्वान अधिवक्ता-श्री कपिल महर्षि, श्री प्रवीण कुमार, श्री श्यामलाल सैनी वास्ते अभियुक्त

Date of Offence	15.11.2011
Date of FIR	15.11.2011
Date of Chargesheet	16.11.2012
Date of Framing Charges	02.01.2026
Date of Commencement evidence	07.03.2026

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

Statement u/s 313 Cr.P.C. Recorded on	10.03.2026
Arguments heard on	10.03.2026
Date of the Judgement	10.03.2026

-: निर्णय :- **दिनांकः-10.03.2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 15.11.2011 को अमरजीत सिंह आबकारी निरीक्षक वृत चूरू मय जाप्ता ने रात्रि कालीन गश्त दौरान मिली गुप्त सूचना पर सड़क आम सहनाली बड़ी से सूरतपुरा मौलीसर पर नाकाबन्दी कर महेन्द्रा पिकअप बिना नंम्बरी बरंग सफेद चैसिस नं. MA1RR2GG91B19242 इन्जन नं. GG91844380 में अवैध रूप से परिवहन की जा रही 120 गत्ता कार्टनों में भरे 5760 पव्वे प्लास्टिक PINAO DRY GIN अंग्रेजी शराब समस्त 'फोर सेल इन हरियाणा ओनली" अंकित बकब्जा नामालूम पिकअप चालक हस्बकायदा रूबरू मौतबिरान बरामद कर मौके की कार्यवाही हस्बकायदा कर नामालूम पिकअप चालक के विरुद्ध 15/2011-12 दिनांक 15.11.2011 अन्तर्गत धारा 14/57,19/54,54ए राज. आब. अधिनियम दर्ज किय अनुसंधान किया गया... इत्यादि ।

2. उक्त जब्ती के आधार पर प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल, चूरू में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 15/2011-12 अपराध अंतर्गत धारा 14/57, 19/54, 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर अनुंसधान प्रारंभ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध धारा 14/57, 19/54, 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उसके विरूद्ध उक्त धारा में आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3. अभियुक्त को धारा 14/57, 19/54, 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया तो सुन-समझकर अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

4. अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाह पेश कर साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गईः-

Rank	Name	Nature of evidence
पी.डब्ल्यू. 1 ए	रोहिताश कुमार	बरामदगी, जब्ती व नक्शा मौका बाबत
पी.डब्ल्यू. 2 ए	गुमानाराम	बरामदगी, जब्ती व नक्शा मौका बाबत
पी.डब्ल्यू. 3 ए	रफीक मोहम्मद	सैंपल केरियर बाबत
पी.डब्ल्यू. 4 ए	छगनलाल	इकरारनामा पिकअप बेचान व बरामदगी
पी.डब्ल्यू. 5 ए	अमरजीत सिंह	नक्शा मौका, तफ्तीश एवं चालान
पी.डब्ल्यू. 6 ए	कुशाल सिंह	बरामदगी, जब्ती व नक्शा मौका बाबत
पी.डब्ल्यू. 7 ए	ताराचंद सिंह	तस्दीक रजिस्ट्रेशन बाबत

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य, निम्न दस्तावेज को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया हैः-

Sr.No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श पी.1	फर्द बरामदगी एवं जब्ती महेन्द्रा पिकअप
2	प्रदर्श पी.2	नक्शा मौका एवं हालात मौका बरामदगी एवं जब्ती वाहन
3	प्रदर्श पी.3	फर्द जब्ती वाहन
4	प्रदर्श पी.4	फर्द जब्ती इकरारनामा
5	प्रदर्श पी.5	नमूनों का रासायनिक परीक्षण करने

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

		बाबत पत्र
6	प्रदर्श पी.6	पर्चा ईत्तला अंतर्गत धारा 47
7	प्रदर्श पी.7	गिरफ्तारी प्रतिवेदन
7	प्रदर्श पी.8	इकरारनामा
8	प्रदर्श पी.9	परीक्षण प्रतिवेदन आबकारी विभाग
9	प्रदर्श पी.10	जब्त वाहन के संबंध में कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत चूरू का पत्र
10	प्रदर्श पी.11	कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत चूरू का प्रबन्धक गहलोत मोटर्स, सीकर को पत्र
11	प्रदर्श पी.12	गहलोत मोटर्स, सीकर का जवाब
12	प्रदर्श पी.13	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
13	प्रदर्श पी.14	वजह सबूत निस्तारण बाबत न्यायालय का आदेश

6. बाद साक्ष्य अभियोजन अभियुक्त को धारा-313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया, झूठा फसाने का कथन किया व जाहिर किया कि वह निर्दोष है एवं साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहने पर बंद की गई।

7. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि -

    1. **क्या अभियुक्त के अनन्य सचेतन कब्जे से 15.11.2011 को 01.30 ए.एम बजे सड़क आम सहनाली बड़ी से सूरतपुरा मौलीसर पीएस रतननगर से आबकारी निरीक्षक वृत चूरू के गश्तीदल ने आपके अनन्य व सचेतन कब्जे से एक पिकअप बिना नंबरी सफेद चैसिस नंबर MA1RR2GG91819242 इंजन नंबर GG91844380 में 120 गत्ता कार्टनों में भरे कुल 5760**

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

पव्वे प्लास्टिक PINAO DRY GIN **अंग्रेजी शराब के बरामद किये तथा अंग्रेजी शराब के कुल 120 कार्टन को आयात, निर्यात और परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा एवं आपके स्वामित्व वाले वाहन पिकअप बिना नंबरी सफेद चैसिस नंबर** MA1RR2GG91B19242 **इंजन नंबर** GG91B44380 **में रखे हुए अंग्रेजी शराब के कुल 120 कार्टनों को पुलिस दल ने बरामद किया। उक्त शराब को अपने कब्जे में रखने बाबत लाईसेंस/परमिट उसके पास नहीं था?**

2. **यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा?**

8. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोप में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया ।

9. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में जब्तीकर्ता अधिकारी तत्कालीन आबकारी निरीक्षक वृत्त चूरू श्री अमरजीत सिंह द्वारा कार्यवाही की गई है, लेकिन अभियुक्त महिपाल सिंह द्वारा घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है । अभियुक्त के अन्नय सचेतन कब्जे से कोई बराबदगी नहीं हुई है । प्रकरण में सभी गवाहान आबकारी विभाग के कार्मिक है जो कि हितबद्ध साक्ष्य अदा करते है । स्वतंत्र साक्ष्य का प्रकरण में पूर्णतः अभाव है । गवाह बयानात में गंभीर विरोधाभास एवं पारस्परिक संपुष्टि का अभाव है । अंततः अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त महिपाल को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया ।

10. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त पर धारा 14/57, 19/54, 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप है। हस्तगण प्रकरण में अभियोजन अधिकारी द्वारा कुल 07 गवाहान न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाये गये हैं। साक्षी **पी.डब्ल्यू.1 ए रोहिताश कुमार** ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 15.11.2011 को वह

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

आबकारी थाना चूरू में सिपाही के पद पर तैनात था। उस दिन अमरजीत सिंह पीओ के साथ मय जाप्ता के रवाना हुए थे। पीओ को गश्त के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली थी जिस पर दफा 47 का पर्चा तैयार किया। जिस पर सूरतपुरा, मौलीसर तिराहे पर नाकाबंदी शुरू करी तब सहनाली की तरफ से एक तेज गति से एक वाहन आता दिखाई दिया। जिसे टॉर्च की रोशनी से इशारा किया। लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। गाडी महिन्द्रा पिकअप थी उसके नंबर प्लेट नहीं लगी थी। महिन्द्रा पिकअप नाकाबंदी तोड़कर भाग गयी। दो तीन किलोमीटर बाद एक खेजड़ी के पेड़ से टकरा गयी। उन्होंने उनका पीछा किया। चालक भागने में सफल हो गया। गाडी बंद थी। डाला को चैक किया तो उसमें 120 गता का कार्टन थे गता का कार्टन चैक करने पर उसमें 48-48 पीआनो ड्राइजिन के पव्वे मिले। पव्वों को गिना गया तो कुल 5760 पव्वे थे। रेंडमली पांच कार्टन निकाले जिनमें से प्रत्येक कार्टन से एक एक पव्वा निकाला गया। उसको मार्क किया व सील मुहर की। कार्टनों को भी सील मुहर किया जो मार्का ए 01 से ई 01 लगाया। अमरजीत सिंह ने गाडी के इंजन नंबर व चैसिस नंबर देखे थे। जिस पर फर्द जप्ती मौके पर बनाई जो प्रदर्श 01 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श 02 है जिस पर भी ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। पिकअप गाडी को जप्त किया था उसकी फर्द जप्ती प्रदर्श 03 है उस पर भी ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** सहनाली तिराहे चूरू थानेदार जी ने अवैध शराब बरामद करने की सूचना दी थी। गाड़ी के अंदर कितने आदमी बैठे थे रात का समय होने के कारण उसने नहीं देखा था। गाडी की स्पीड 20 हो या 100 हो वह नहीं बता सकता। नाकाबंदी तोडने पर उन लोगों ने गाड़ी का पीछा किया था। उनका वाहन कौन चला रहा था वह नाम नहीं बता सकता। उनके वाहन की क्या गति थी वो भी वह नहीं बता सकता। उसे पिकअप से कोई भी व्यक्ति भागता हुआ दिखाई नहीं दिया। यह कहना सही है कि उन्होंने वाहन की तुरंत तलाशी ली थी जिसमें वाहन व वाहन चालक के कोई भी कागजात व पहचान के दस्तावेज नहीं मिले। पिकअप के कहीं भी कोई पहचान का चिन्ह व नाम नहीं लिखे हुए थे। फर्द बरामदगी के समय अंधेरा था। पिकअप वाहन टकराने के बाद उसकी लाइटें बंद हो गयी थी। उनके पास बोलेरो वाहन था। उसकी लाइटें कितनी पॉवर की थी वह नहीं बता सकता। यह कहना सही

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

है कि सम्पूर्ण कार्यवाही थानेदार जी ने की थी उसके केवल हस्ताक्षर करवाये थे।

11. **साक्षी पी.डब्ल्यू.2 ए गुमानाराम** ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 15.11.2011 को वह आबकारी थाना चूरू में प्रहराधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन आबकारी निरीक्षक अमरजीत सिंह के साथ मय जाप्ता के रवाना हुए थे। गश्त के दौरान आबकारी निरीक्षक को जरिये मुखबिर सूचना मिली तो सूचना के आधार पर सूरतपूरा से सहनाली तिराहे पर नाकाबंदी शुरू की थी। सहनाली की तरफ से एक सफेद कलर की पिकअप आई जिसको टॉर्च की रोशनी से रूकवाने के लिए इशारा किया लेकिन वह नाकाबंदी तोड़कर भाग गया। बाद में उसका पीछा किया। दो तीन किलोमीटर के बाद यह पिकअप एक पेड के टकराकर बंद हो गयी। उन्होंने पीछा कर मौके पर पंहुचे तो चालक वहां से भाग गया था। पिकअप के डाला को चैक किया तो उसमें 120 कार्टन शराब के मिले। कार्टनों को चैक किया तो प्रत्येक कार्टन में 48-48 पव्वे ड्राइजिन के पव्वे मिले। गिना गया तो सभी 5760 पव्वे हुए। रेंडमली पांच कार्टनों को निकालकर प्रत्येक कार्टन में से एक एक पव्वा निकालकर उसको सील मुहर किया। शेष कार्टूनों को सील मुहर किया। गाड़ी के नंबर प्लेट नहीं थी। जिस पर फर्द जप्ती मौके पर बनाई जो प्रदर्श 01 है उस पर ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श 02 है उस पर भी ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। गाडी को जप्त किया था उसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 03 है उस पर भी ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** वे थाने से कितने बजे निकले थे आज उसे याद नहीं है। वे मौके पर नाकाबंदी करते करते पंहुचे थे। मौके पर पंहुचने से पूर्व उन्होंने कितने जगह नाकाबंदी की वह नहीं बता सकता। पिकअप में अवैध शराब होने की बात सीआई साहब को पता थी हमें नाकाबंदी के दौरान नहीं बताई थी। प्रदर्श पी 06 के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी। नाकाबंदी के दौरान उन्होंने एक ही वाहन को नहीं रोका। उसे करीबन आधा किमी. की दूरी से वाहन दिख गया था अज खुद कहा कि उक्त वाहन के केवल लाईट दिखी थी। वाहन में कितने आदमी बैठे थे वह नहीं बता सकता। थानेदार जी के पास जो लाईट थी वो करीबन 100 मीटर दूर तक रोशनी देती है। वाहन के आगे प्लेट किस

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

कलर की लगी हुई थी वह नहीं बता सकता। उनका वाहन कौन चला रहा था वह नहीं बता सकता। हमने पिकअप का पीछा किया तो हमारे बीच में करीबन 50-100 मीटर की दूरी थी। करीबन दो ढाई किमी दूर वाहन एक पेड से जाकर टकरा गया था। पिकअप तेज गति से चल रहा था इसलिए खेजडी से टकरा गया था। पेड से टकराने पर पिकअप क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी पिकअप बंद हो गयी थी। पिकअप की आगे पीछे की लाइटें भी बंद हो गयी थी। वह नहीं बता सकता कि पिकअप चालक वाहन टकराने से चोटग्रस्त हुआ या नहीं हुआ। पिकअप से कितने आदमी निकलकर भागे वह नहीं बता सकता। पिकअप की उन्होंने सबसे पहले केबिन की तलाशी ली। पिकअप की केबिन में उन्हें वाहन व वाहन चालक के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं मिले थे।

12. **साक्षी पी.डब्ल्यू.3 ए रफीक मोहम्मद** ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 29.10.2012 को आबकारी वृत चूरू में गार्ड के पद पर तैनात था। उस दिन छगनलाल ने एक इकरारनामा पेश किया था जिसको पीओ अमरजीत सिंह ने कब्जा में लेकर फर्द जप्ती तैयार की जो प्रदर्श 04 है उस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 27.11. 2011 को पीओ अमरजीत सिंह ने पांच नमूना सैंपल पव्वे सीलबंद हालत उसे मालखाना से निकालकर दिये थे। जिनको उसने दूसरे दिन उसी हालत में एफएसएल कार्यालय जोधपुर में जमा कराकर प्राप्ति रसीद लाकर पेश की थी जो प्रदर्श 05 है। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** यह कहना सही है कि प्रदर्श 08 उसने मूल नहीं देखा था। फर्द जप्ती की कार्यवाही थानेदारजी द्वारा की गई थी उसके तो केवल हस्ताक्षर करवाये थे। मालखाना थानेदार जी स्वयं के पास था उन्होंने उसे नमूने दिये थे। यह कहना सही है कि उसने नमूनों को खोलकर नहीं देखा।

13. **साक्षी पी.डब्ल्यू.4 ए छगनलाल** ने सशपथ कथन किया है कि उसके पास एक पिकअप थी जिसके नंबर आरजे 23 जीए 2728 थे जिसको उसने जरिये इकरारनामा 521000 रूपये में महिपाल सिंह को बेच दी थी। इकरारनामा महिपाल सिंह को दे दिया था और उसकी फोटोप्रति उसने रख ली थी। जिसका बाद में उसने सुना कि जो शराब में पकड़ी गयी थी। गाड़ी कौन चला रहा था उसे ध्यान नहीं। वो इकरारनामा उसने आबकारी वालों को दिया था

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श 04 है उस पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** यह कहना सही है कि मौके पर वाहन पर चालक कौन था वह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि उसने महिपाल सिंह का चालक लाइसेंस नहीं देखा है। यह कहना सही है कि पुलिस में उसके कोई बयान नहीं हुए थे। यह कहना सही है कि उसने महिपाल के खिलाफ शराब बेचने की बात कहीं नहीं सुनी थी। वह नहीं बता सकता कि महिपाल कमाने खाने के लिए आसाम रहता है और उक्त वाहन किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में रहा हो।

14. **साक्षी पी.डब्ल्यू.5 ए अमरजीत सिंह** ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 15.11.2011 को वह आबकारी निरीक्षक वृत चूरू के पद पर तैनात था। उस दिन वह श्री गुमनाराम प्रहराधिकारी व अन्य जाप्ता के साथ गश्त पर गया था। गश्त दौरान उसे मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक महिन्द्रा पिकअप बिना नंबरी में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। समयाभाव के कारण सर्च वारंट प्राप्त नहीं किया गया। दफा 47 आबकारी अधिनियम का पर्चा तैयार कर सहनाली बड़ी सुरपुरा रोड़ तिराहे पर नाकाबंदी शुरू करी थी। सहनाली की तरफ से एक पिकअप महिन्द्रा बिना नंबरी तेज गति से चलती हुई आ रही थी। जिसको टॉर्च से रोशनी करके रूकने का इशारा किया लेकिन वह नाकाबंदी तोड़ कर भाग गया। उन्होंने उसका पीछा किया तो दो तीन किलोमीटर पर वह गाडी एक पेड़ से टकरा गयी और मौके पर चालक भाग गया। पिकअप को चैक किया तो उसके डाला में 120 कार्टन शराब के थे। कार्टनों को चैक किया तो प्रत्येक कार्टन में 48-48 पव्वे पिआनो ड्राइजिन के निकले। पव्वों को गिना गया तो कुल 5760 पव्वे हुए जो समस्त पव्वे सेल इन हरियाणा ओनली लिखे हुए थे। जिस पर रेंडमली पांच कार्टन निकालकर प्रत्येक कार्टन में से एक एक पव्वा निकाला गया व सील मुहर किया गया। कार्टनों को सील मुहर किया गया। पांचों कार्टनों पर मार्क ए बी सी डी ई अंकित किया गया। पांचों सैंपल पर मार्क ए 01 बी 01 सी 01 डी 01 व ई 01 अंकित किया गया। शेष कार्टनों पर मार्क 01 से 115 अंकित किया गया। पिकअप गाड़ी के इंजन नंबर व चैसिस नंबर देखे गये। फर्द जप्ती मौके पर बनाई गयी जो प्रदर्श 01 है उस पर जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर उसकी नमूना सील है। दफा 47 का पर्चा बनाया जो प्रदर्श

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

06 है उस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका बनाया जो प्रदर्श 02 है उस पर जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। पिकअप को जप्त किया था उसकी फर्द जप्तीप्रदर्श 03 है उस पर भी ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। पिकअप व जप्त शराब को लेकर कृत कार्यालय पहुंचा जहां पर एफआईआर नंबर 15/11-12 दर्ज की गई जो प्रदर्श 07 है उस पर ए से बी व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। गवाह रोहिताश कुमार कुशाल सिंह छगनलाल रफीक मोहम्मद के बयान उसके बोले अनुसार लिये गये। छगनलाल ने एक इकरारनामा पेश किया था। जिसमें पिकअप को महिपाल सिंह को विक्रय करना बताया वो इकरारनामा जप्त किया गया उसकी फर्द जप्ती प्रदर्श 04 है उस पर ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। जो इकरारनामा प्रदर्श 08 है उस पर ए से बी उसके शामिल पत्रावली के उसके हस्ताक्षर है। पांचों नमूना सैंपल रफीक मोहम्मद गार्ड के साथ एफएसएल कार्यालय जोधपुर भिजवाये गये थे व उसकी प्राप्ति रसीद लाकर पेश की थी। जिसका अग्रेषण पत्र प्रदर्श 05 है उस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है एक्स स्थान पर उसकी नमूना सील है सी से डी उसकी प्राप्ति रसीद है व ई से एफ शामिल पत्रावली के उसके हस्ताक्षर है। एफएसएल प्राप्त हुई जो प्रदर्श 09 है उस पर ए से बी शामिल पत्रावली के उसके हस्ताक्षर है। वाहन के स्वामित्व बाबत जिला परिवहन अधिकारी सीकर को तहरीर दी गई जिसमें उसने वाहन संख्या आरजे 23 जीए 2728 को महिपाल सिंह के नाम से पंजीकृत होना बताया। उसके द्वारा दी गई तहरीर प्रदर्श 10 है उस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है सी से डी जिला परिवहन अधिकारी का जबाब व हस्ताक्षर है, ई से एफ शामिल पत्रावली के उसके हस्ताक्षर है। गहलोत मोटर्स को भी एक पत्र दिया गया था जो फर्द 11 है उस पर भी ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श 11 के जवाब में गहलोत मोटर्स का जवाब पेश किया जो प्रदर्श 12 है उस पर ए से बी शामिल पत्रावली के उसके हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 13 है उस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। वजह सबूत न्यायालय के आदेश से निस्तारण किया जा चुका है जो आदेश प्रदर्श 14 है। बाद अनुसंधान उसने मुल्जिम महिपाल सिंह के खिलाफ धारा 14, 19/54 54 ए राजस्थान आबकारी अधिनियम का अपराध प्रमाणित माना गया। मुल्जिम की तलाश की गई लेकिन मुल्जिम नहीं मिला। जिस पर उसके खिलाफ मफरूरी

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

की कार्यवाही करवाई जाकर चालान उसके द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** थाने से वे करीब 11 बज चले थे। थाने से वे करीबन दो गाडियों में करीबन 10-11 लोग चले थे। मौके पर उनके दोनों वाहन आमने सामने खड़ा कर नाकाबंदी की गई थी। उनके पास किसी भी प्रकार का कोई बैरियर नहीं था। वह नाकाबंदी के दौरान दाहिने व बांयी साईड के वाहन के पास खड़ा था तो आज उसे नहीं पता। यह कहना सही है कि कार्यवाही में जप्ती से लेकर बाद में अनुसंधान कार्यवाही करना व आरोप पत्र पेश करने की कार्यवाही भी उसके द्वारा ही की गई है। यह कहना सही है कि बरामदशुदा समस्त शराब को एफएसएल जांच हेतु नहीं भेजा गया था। रेडमली जांच के लिए भेजा गया था। यह कहना सही है जिस वक्त शराब बरामद की गई थी अभियुक्त महिपाल सिंह को उस जगह से गिरफतार नहीं किया गया था। मूल आरसी अनुसंधान में जप्त नहीं हुई है ना ही वाहन में पायी गयी है। वाहन में शराब परिवहन होने के बारे में नोटिस महिपाल सिंह के घर पर चस्पा किया गया लेकिन महिपाल सिंह द्वारा कोई जवाब नहीं पेश किया गया ना ही वह अनुसंधान अधिकारी के समक्ष अनुसंधान हेतु उपस्थित हुए। यह कहना सही है कि महिपाल सिंह का पूर्व में शराब तस्करी का कोई रिकॉर्ड हो ऐसा उसके अनुसंधान में नहीं पाया गया है।

15. **साक्षी पी.डब्ल्यू.6 ए कुशाल सिंह** ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 15.11.2011 को वह आबकारी थाना चूरू में सिपाही के पद पर तैनात था। उस दिन अमरजीत सिंह पीओ के साथ मय जाप्ता के रवाना हुए थे। पीओ को गश्त के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली थी जिस पर दफा 47 का पर्चा तैयार किया। जिस पर सूरतपुरा, मौलीसर तिराहे पर नाकाबंदी शुरू करी तब सहनाली की तरफ से एक तेज गति से एक वाहन आता दिखाई दिया। जिसे टॉर्च की रोशनी से इशारा किया। लेकिन उसने गाडी नहीं रोकी। गाडी महिन्द्रा पिकअप थी उसके नंबर प्लेट नहीं लगी थी। महिन्द्रा पिकअप नाकाबंदी तोडकर भाग गयी। दो तीन किलोमीटर बाद एक खेजडी के पेड़ से टकरा गयी। उन्होंने उनका पीछा किया। चालक भागने में सफल हो गया। गाड़ी बंद थी। डाला को चैक किया तो उसमें 120 गता का कार्टन थे गता का कार्टन चैक करने पर उसमें 48-48 पीआनो ड्राइजिन के पव्वे मिले। पव्वों को गिना गया तो कुल 5760 पव्वे थे। रेंडमली पांच कार्टन निकाले जिनमें से प्रत्येक

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

कार्टन से एक एक पव्वा निकाला गया। उसको मार्क किया व सील मुहर की। कार्टनों को भी सील मुहर किया जो मार्का ए 01 से ई 01 लगाया। अमरजीत सिंह ने गाडी के इंजन नंबर व चैसिस नंबर देखे थे। जिस पर फर्द जप्ती मौके पर बनाई जो प्रदर्श 01 है जिस पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श 02 है जिस पर भी सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। पिकअप गाडी को जप्त किया था उसकी फर्द जप्ती प्रदर्श 03 है उस पर भी सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** वे थाने से दो वाहनों में निकले थे। कितने बजे निकले थे आज समय याद नहीं है। थाने से निकलकर मौके पर गये उससे पहले उन्होंने कहीं भी नाकाबंदी नहीं की। पिकअप में अवैध शराब होने की जानकारी उसे सीआई साहब ने दी थी। उन सभी मुलाजमान को एक साथ जानकारी दी थी। उन्होंने गाडी को रोकने के लिए उसके आगे बैरिक नहीं लगाया था। पिकअप में कितने आदमी बैठे थे वह नहीं बता सकता। वाहन को उसने ही रोका था थानादार जी तो पीछे खड़े थे। पिकअप का पीछा करते समय कौनसा वाहन आगे था वह नहीं बता सकता। उनकी गाडी के आगे व पीछे कौनसी गाड़ी थी वह नहीं बता सकता। पिकअप के आगे पीछे क्या लगा हुआ था वह नहीं बता सकता। पिकअप उनके मौके पर पहुचने से पहले ही खेजडी के टकराई हुई थी। उन्होंने मौके पर पिकअप से भागने वाले व्यक्तियों के पद चिन्ह भी नहीं देखे थे अज खुद कहा कि कितने आदमी भागे थे वह नहीं बता सकता। पिकअप के नंबर प्लेट कौनसी रंग की थी उन्होंने नहीं देखी। बरामदगी के रात बिल्कुल अंधेरा था या चांद की रोशनी थी वह नहीं बता सकता। उनके पास रोशनी के लिए बैटरी थी उन सभी ने अपने फोन की बैटरी ऑन करके उक्त फर्द तैयार करवाई थी। यह कहना सही है कि सम्पूर्ण कार्यवाही लिखापढी थानेदार जी स्वयं ने की थी उसके तो केवल हस्ताक्षर करवाये थे।

16. **साक्षी पी.डब्ल्यू.7 ए ताराचंद** ने सशपथ कथन किया है कि वह अगस्त 2023 से जिला परिवहन अधिकारी सीकर के पद पर कार्यरत है। दिनांक 18.04.2012 को अलाउदीन खान जिला परिवहन अधिकारी सीकर द्वारा एक वाहन संख्या आरजे 23 जीए 2728 का पंजीयन रिकॉर्ड अनुसार वाहन महिपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी कोलीड़ा सीकर के नाम से दिनांक

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

23.09.2011 से है लिखकर दिया गया था। जो प्रदर्श 10 है उस पर जी से एच जिला परिवहन अधिकारी अलाउदीन खांन के हस्ताक्षर है। जिनके हस्ताक्षर संस्थापन शाखा में उसके द्वारा कई बार देखे गये है इस कारण वह पहचानता है। आई से जे स्थान पर संबंधित कार्मिक रामप्रसाद के हस्ताक्षर है। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** यह कहना सही है कि वह रिकॉर्ड आज साथ लेकर नहीं आया है। प्रदर्श 10 की इबारत रिकॉर्ड से मिलान कर दी गयी या नहीं दी गई वह नहीं बता सकता। यह कहना भी सही है कि जिला परिवहन अधिकारी अलाउदीन ने उसके सामने कभी हस्ताक्षर नहीं किये वह तो केवल रिकॉर्ड देखकर बता रहा है।

17. बहस उभयपक्षकारान सुनी गई । पत्रावली व सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया । इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि हस्तगत प्रकरण तत्कालीन आबकारी निरीक्षक वृत्त चूरू श्री अमरजीत सिंह द्वारा पेश मूल एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 7 के आधार पर दर्ज किया गया था । महत्वपूर्ण है कि हस्तगत प्रकरण में तत्कालीन आबकारी निरीक्षक श्री अमरजीत सिंह को एक ईत्तला बिना नंबरी पिकअप में शराब तस्करी/अवैध परिवहन की सूचना पर पर्चा ईत्तला मुर्तिब की गई थी जो प्रदर्श पी 6 है, लेकिन महिन्द्र पिकअप के बिना नंबरी होने बाबत सूचना पर्चा ईत्तला प्रदर्श पी 6 में अंकित है लेकिन इस पर्चा ईत्तला में अवैध शराब का परिवहन कौन कर रहा था इस संबंध में कोई भी तथ्य अंकित नहीं था । महत्वपूर्ण है कि जब्ती की कार्यवाही में तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी गुमानाराम के साथ फर्द जब्ती के मौतवीर रोहितास कुमार, कुशाल सिंह उक्त दोनों गवाह भी आबकारी विभाग में सिपाही के पद पर अंकित है जिनकी उपस्थिति में महिन्द्रा पिकअप बिना नंबरी रंग सफेद, चैचिस नंबर MA1RR2GG91B19242, ईंजन नंबर GG91B44380 में 120 गत्ते के कार्टन में 5760 पव्वे अवैध शराब के बरामद किये गये थे । महत्वपूर्ण है कि न्यायालय में अभियुक्त ने गिरफ्तार नहीं होने पर दिनांक 06.11.2012 को आबकारी अधिनियम की धारा 14, 19/54, 54ए के तहत धारा 299 सीआरपीसी के तहत आरोप पत्र पेश किया गया था व अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य लेखबद्ध किया जाकर फाईल को मफरूरी में दाखिल दफ्तर कर दिया गया था ।

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

तत्पश्चात अभियुक्त के गिरफ्तार होने पर यह प्रकरण पुनः दर्ज किया गया था । न्यायालय में परीक्षित गवाह में पीडब्ल्यू 01 ए रोहितास जब्ती कार्यवाही में साथ था । इस गवाह के फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1 नक्शा नजरी बरामदगी, प्रदर्श पी 2 फर्द जब्ती पिकअप, प्रदर्श पी 3 फर्द जब्ती इकरारनामा इन सभी दस्तावेज में इस गवाह के हस्ताक्षर है यह गवाह वक्तघटना आबकारी विभाग में सिपाही के पद पर तैनात था । इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में भी कथन किया है क्योंकि पिकअप का चालक भागने में सफल हो गया था । अधिवक्ता अभियुक्त के लिए किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि उससे पिकअप से कोई भी व्यक्ति भागते हुए दिखाई नहीं दिया था । पीडब्ल्यू 02 ए तत्कालीन थानाधिकारी गुमानाराम है उक्त गवाह ने भी तत्कालीन आबकारी निरीक्षक वृत्त चूरू (जब्तीकर्ता अधिकारी) बयानों की ताईद करते हुए महिन्द्रा पिकअप गाडी जिस पर नंबर प्लेट अंकित नहीं थे, से 120 कार्टनों में अवैध शराब बरामद होना ताईद किया है । प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि पिकअप से कितने आदमी निकलकर भागे वह नहीं बता सकता । पिकअप के केबिन में उन्हें वाहन या वाहन चालक के कोई भी दस्तावेज नहीं मिला था । पीडब्ल्यू 3 ए रफीक मोहम्मद है जो कि इकरारनामा की फर्द जब्ती प्रदर्श पी 4 है । दिनांक 29.10.2012 का औपचारिक साक्षी है और इस गवाह द्वारा दिनांक 27.11.2011 को पांच नमूना सैंपल पव्वे एफ.एस.एल. कार्यवाही के लिए जोधपुर में जमा करने बाबत साक्ष्य अदा की है जो कि औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य है । पीडब्ल्यू 4 छगनलाल है जिसने अपनी पिकअप गाडी 5,21,000/- रूपये में महिपाल सिंह को बेचना ताईद किया है । वक्त घटना गाडी कौन चला रहा था इस संबंध में गवाह ने मुख्य परीक्षण में अनभिज्ञता जाहिर की है । पीडब्ल्यू 05 ए अमरजीत सिंह द्वारा आबकारी निरीक्षक वृत्त चूरू के पद पर वक्त घटना कार्यरत रहने के दौरान स्वयं एवं जाब्ते द्वारा की गई कार्यवाही को अपने मुख्य परीक्षण में ताईद किया है । यह गवाह प्रकरण में जब्तीकर्ता अधिकारी भी है एवं इसी गवाह द्वारा प्रकरण में अनुसंधान भी किया गया है तथा बाद अनुसंधान अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त महिपाल सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र पेश करना ताईद किया है । पीडब्ल्यू 6 ए कुशाल सिंह है इसके द्वारा भी जाब्ते द्वारा की गई कार्यवाही की ताईद की है । प्रतिपरीक्षण में भागने वाले व्यक्तियों की पहचान के संबंध में कोई स्पष्ट कथन

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

नहीं किया है । पीडब्ल्यू 7 ए ताराचंद जिला परिवहन अधिकारी सीकर है जिन्होंने रिकॉर्ड के अनुसार वाहन संख्या आर जे 23 जीए 2728 का पंजीयन महिपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह के नाम से होना ताईद किया है ।

18. उपरोक्त के संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि तत्कालीन आबकारी निरीक्षक वृत्त चूरू अमरजीत सिंह द्वारा मय जाब्ता जो भी कार्यवाही की गई है एवं 120 कार्टनों में 5760 पव्वे अवैध शराब के फॉर सेल इन हरियाणा ओनली बरामद किया गया है । वक्त घटना अभियुक्त महिपाल सिंह को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है, ना ही अभियुक्त को घटनास्थल से भागते वक्त किसी भी कार्मिक द्वारा पहचान किया गया है । ऐसे में बरामदशुदा शराब अभियुक्त महिपाल सिंह के अनन्य व सचेतन कब्जे (Exclusive and Conscious Possession) बरामद की गई हो ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता । अभियुक्त के अवैध शराब के परिवहन में लिप्त होने बाबत कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है ।

अभियुक्त को जाब्ते द्वारा की गई कार्यवाही दिनांक 15.11.2011 के पश्चात लंबे समय बाद दिनांक 16.12.2025 को लगभग 14 वर्ष बाद समर्पण करने पर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया था । आबकारी वृत्त निरीक्षक चूरू अमरजीत सिंह द्वारा प्रकरण में स्वयं जब्ती कार्यवाही की गई एवं स्वयं द्वारा ही प्रकरण में अनुसंधान किया गया है जिससे अनुसंधान कार्यवाही दूषित हुई है ।

अनुसंधान अधिकारी अमरजीत सिंह द्वारा गहलोत मोटर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड सीकर को जारी पत्र के आधार पर प्रदर्श पी 12 दस्तावेज के अनुसार वाहन आर जे 23 जीए 2728 के जरिये अवैध शराब परिवहन के संबंध में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उक्त वाहन छगनलाल पुत्र बनवारी लाल निवासी खींवसर तहसील लक्ष्मणगढ सीकर के नाम से ब्रिकीत था, लेकिन महत्वपूर्ण है कि गहलोत मोटर्स के किसी भी प्रकार के अधिकृत प्रतिनिधि को सूची गवाहान में नहीं रखा गया है तथा इसी आधार पर गवाह छगनलाल द्वारा इकरारनामा प्रदर्श पी 8 को न्यायालय में प्रदर्शित करवाया गया है, लेकिन उपरोक्त के संबंध में न्यायालय का विनम्र

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

मत है कि साक्ष्य विधि का सिद्धांत है कि सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए (Best Evidence Must Be Produced) ऐसे में गहलोत मोटर्स के अधिकृत प्रतिनिधि को सूची गवाहान में नहीं रखे जाने से अभियोजन का पक्ष कमजोर हुआ है साथ ही प्रदर्श पी 8 इकरारनामा न्यायालय में प्रदर्शित करवाई गई है जिसमें शामिल पत्रावली के पृष्ठांकन के रूप में ए से बी तत्कालीन आबकारी निरीक्षक वृत्त चूरू एवं अनुसंधान अधिकारी अमरजीत सिंह के हस्ताक्षर है । इस संबंध में गवाह छगनलाल न्यायालय में पीडब्ल्यू 04 ए के रूप में परीक्षित हुआ है, लेकिन इस गवाह द्वारा अपने हस्ताक्षरों को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है ।

19. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इकरारनामा फोटोप्रति दस्तावेज है जिस पर प्रदर्श अंकित नहीं किया जा सकता एवं यह दस्तावेज प्राथमिक (Primary Evidence) नहीं होने के कारण साक्ष्य में गाह्य नहीं है इस कारण मात्र प्रदर्श अंकित किये जाने से इस दस्तावेज को अभियोजन के समर्थन में नहीं पढा जा सकता । साथ ही प्रदर्श पी 8 इकरारनामा एवं गहलोत मोटर्स सीकर से प्राप्त पत्र प्रदर्श पी 12 के रूप में कोई भी सक्षम साक्षी न्यायालय में परीक्षित नहीं हुआ है । प्रदर्श पी 8 दस्तावेज अभियोजन की ओर से सम्यक रूप से साबित नहीं है तथा इसी के आधार पर जिला परिवहन अधिकारी सीकर से वाहन के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है । इसलिए अभियोजन की लिंक साक्ष्य पूर्णतः साबित नहीं होती है ।

जब तक अभियुक्त दोषी साबित नहीं होता, तब तक उसकी निर्दोषिता की उपधारणा की जाती है । सबूत का भार सदैव अभियोजन पर ही रहता है ।

20. अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं न्यायालय में आई उपरोक्त साक्ष्य के फलस्वरूप अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 14/57, 19/54, 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त के अनन्य एवं सचेतन कब्जे से 15.11.2011 को 01.30 ए.एम बजे सड़क आम सहनाली बड़ी से सूरतपुरा मौलीसर पीएस रतननगर से आबकारी

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

निरीक्षक वृत चूरू के गश्तीदल ने अभियुक्त महिपाल सिंह के अनन्य व सचेतन कब्जे से एक पिकअप बिना नंबरी सफेद चैसिस नंबर MA1RR2GG91819242 इंजन नंबर GG91844380 में 120 गत्ता कार्टनों में भरे कुल 5760 पव्वे प्लास्टिक PINAO DRY GIN अंग्रेजी शराब के बरामद किये तथा अंग्रेजी शराब के कुल 120 कार्टन को आयात, निर्यात और परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखा एवं आपके स्वामित्व वाले वाहन पिकअप बिना नंबरी सफेद चैसिस नंबर MA1RR2GG91B19242 इंजन नंबर GG91B44380 में रखे हुए अंग्रेजी शराब के कुल 120 कार्टनों को पुलिस दल ने बरामद किया। उक्त शराब को अपने कब्जे में रखने बाबत लाईसेंस/परमिट उसके पास नहीं था ।

<u>आदेश</u>

21. अतः अभियुक्त महिपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, उम्र 38 साल, निवासी कोलीडा पुलिस थाना दादिया जिला सीकर को अपराध अंतर्गत धारा 14/57, 19/54, 54ए राजस्थान आबकारी अधिनियम में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

22. इस प्रकरण में बरामद शराब बाद गुजरने अपील मियाद नियमानुसार निस्तारण हेतु जिला आबकारी अधिकारी, चूरू को सुपुर्द की जावे।

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

23. निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)